

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2019 निगरानी

निगरानी - 0188/2019/शाजापुर/भू०२१७

श्रीमति गंगाबाई पिता सुखराम पत्नि श्री कैलाश जाति-गौड़
आयु लगभग 56 वर्ष निवासी-58 काछीवाडा शाजापुर
तहसील व जिला-शाजापुर म.प्र.।

पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थी


बनाम

- (1) विरेन्द्र कुमार पिता शिखरचंद्र जैन जाति-महाजन
निवासी-भागसीपुरा उज्जैन तहसील व
जिला-उज्जैन हालमुकाम-44/1/1 कलाल सेरी
गाय-ढोर वाली गली नमक मंडी उज्जैन।
- (2) मंगूसिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत निवासी
ग्राम-गिरवर तहसील व जिला-शाजापुर म.प्र.
मुखत्यारआम विरेन्द्र कुमार।
- (3) श्रीमति अलका दूबे पत्नि अनिल दूबे जाति-ब्राह्मण
आयु लगभग 36 वर्ष निवासी-ए.बी. रोड कोल्ड
स्टोरेज के सामने शाजापुर तहसील व
जिला-शाजापुर म.प्र.।
- (4) आत्माराम धानुक तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 34
ग्राम-गिरवर तहसील व जिला-शाजापुर म.प्र.

प्रतिपुरीक्षणकर्ता / विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. विरुद्ध आदेश माननीय
अपर आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन के द्वारा अपने न्यायालय
के प्रकरण क्रमांक 201/अपील/2017-18 में पारित आदेश
दिनांक 30.11.2018 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
महोदय (राजस्व) शाजापुर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक
86/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 एवं
तहसीलदार महोदय तहसील-शाजापुर के न्यायालय के प्रकरण
क्रमांक 34-अ-6/14-15 आदेश दिनांक 29.06.2015 से

प्रार्थी अभिभाषक श्री डॉ. आर. यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 18/01/19
अधीक्षक 18-1-19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन



646
18-1-19

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0188/2019/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	